पत्रांक–4/वि01–69/2018.....278...../
झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)
योजना भवन, तृतीय तल, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची–834002.

संकल्प

**विषयः–** **चतुर्थ चरण में अंगीभूत किये गये महाविद्यालयों के एस0सी0/एस0टी0 शिक्षकों की नियुक्ति के समय शैक्षणिक अर्हता को माननीय राज्यपाल द्वारा शिथिल किये जाने के उपरांत 22 एस0सी0/एस0टी0 शिक्षकों का सेवा सामंजन एवं वेतन निर्धारण उपलब्ध सृजित पदों के विरूद्ध Date of absorption की तिथि से करने की स्वीकृति के संबंध में।**

चतुर्थ चरण में अंगीभूत किये गये महाविद्यालयों के 23 एस0सी0/एस0टी0 शिक्षकों की शैक्षणिक अर्हता को माननीय राज्यपाल द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से शिथिल किया गया है। राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक–788 दिनांक–07.03.2017 एवं पत्रांक–2229 दिनांक–31.07.2017 द्वारा 17 एस0टी0/एस0सी0 शिक्षकों, पत्रांक–5677 दिनांक–08.11.2010 द्वारा 05 एस0सी0/एस0टी0 शिक्षकों एवं पत्रांक–2572 दिनांक–05.09.2017 द्वारा 01 एस0टी0 शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता को शिथिल किया गया है। माननीय राज्यपाल–सह–कुलाधिपति द्वारा संदर्भित आदेश निर्गत करने के पूर्व विद्वान महाधिवक्ता का मंतव्य प्राप्त किया गया। विद्वान महाधिवक्ता द्वारा निम्नांकित मंतव्य दिया गयाः–

"Now the admitted position is that all are similarly situated Teachers belonging to the SC/ST category and Dr. Meena Kujur and others have also improved their qualification and NCST on 04.08.2015 has made recommendation to give effect of relaxation from the date of initial appointment.

Since all are similarly situated and equal in category, they cannot be treated differently and relaxation be extended to the teachers of SC/ST from the date of their initial appointment, to ensure parity amongst such SC/ST Teachers."

2. उक्त के आलोक में राँची विश्वविद्यालय की अधिसूचना संख्या–398 दिनांक–15.07.2017 द्वारा 14 एस0सी0/एस0टी0 शिक्षकों, अधिसूचना संख्या–570 दिनांक–27.07.2017 द्वारा 01 एस0टी0 शिक्षक, अधिसूचना संख्या–837 दिनांक–13.09.2011 द्वारा 05 एस0सी0/एस0टी0 शिक्षकों, अधिसूचना संख्या–402 दिनांक–28.04.2018 द्वारा 02 एस0टी0 शिक्षकों एवं अधिसूचना संख्या–775 दिनांक–22.11.2017 द्वारा 01 एस0टी0 शिक्षक का अन्तर्लीनीकरण किया गया।

3. उक्त के क्रम में विभाग द्वारा विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता का मंतव्य प्राप्त किया गया है। जिसकी अंतिम पंक्ति निम्नवत् हैः–

"It shall be proper to refer the Matter to her Excellency the Governor cum chancellor the State of Jharkhand for reconsideration of the earlier order."

4. विभाग तथा राजभवन को प्राप्त पृथक विधिक मंतव्य के क्रम में विभाग द्वारा पुनः विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता का मंतव्य प्राप्त किया गया, जिसकी अंतिम पंक्ति के अनुसारः–

"If power has been vested with the Hon'ble chancellor of Universities to grant such Age relaxation, this is also required to be Examined."

5. मामले पर विचार हेतु विभागीय आदेश संख्या–89 दिनांक–12.01.2023 द्वारा एक समिति का गठन किया गया। उक्त समिति द्वारा दिनांक–03.07.2023 की बैठक में मामले की समीक्षा की गयी। समिति द्वारा पाया गया कि माननीय राज्यपाल को शैक्षणिक योग्यता को शिथिल करने की शक्ति 1978 स्टैच्यूट के द्वारा प्रदत्त है। समीक्षोपरांत 22 एस0टी0/एस0सी0 शिक्षकों का सामंजन एवं वेतन निर्धारण उपलब्ध सृजित पदों के विरूद्ध माननीय राज्यपाल के द्वारा शैक्षणिक योग्यता में शिथिलीकरण के आदेश के आलोक में Date of absorption की तिथि से करने की अनुशंसा की गयी। एक शिक्षक डॉ0 बिंदू पाहन, जिनकी नियुक्ति माननीय अग्रवाल कमीशन की रिपोर्ट में RII/NR पद के विरूद्ध है, के वेतन निर्धारण पर पद के अभाव में विचार योग्य नहीं पाया गया।

6. अतः चतुर्थ चरण में अंगीभूत किये गये महाविद्यालयों के एस0सी0/एस0टी0 शिक्षकों की नियुक्ति के समय शैक्षणिक अर्हता को माननीय राज्यपाल द्वारा शिथिल किये जाने के उपरांत 22 एस0सी0/एस0टी0 शिक्षकों का सेवा सामंजन एवं वेतन निर्धारण उपलब्ध सृजित पदों के विरूद्ध Date of absorption की तिथि से करने की स्वीकृति दी जाती है।

7. उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–12.02.2024 में मद संख्या–02 के रूप में दी गयी है।

**आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाय।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

20.2.24

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–4/वि01–69/2018.....278...../ रॉची, दिनांक–.....21/02/2024

प्रतिलिपिः– नोडल पदाधिकारी, ई–ऑफिस परियोजना, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20.2.24

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–4/वि01–69/2018.....278...../ रॉची, दिनांक–.....21/02/2024

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, झारखण्ड, रॉची/माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड/प्रधान सचिव, विधि विभाग, झारखण्ड/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव (बजट), उच्च शिक्षा/कुलसचिव, रॉची विश्वविद्यालय, रॉची एवं कुलसचिव, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20.2.24

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।